रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात

(अधिप्रमाणित)

साध्वी निरंजन ज्योति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248816
CG-DL-E-18092023-248816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945
No. 534] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2023

सा.का.नि. 676(अ).—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारण का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

I. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भंडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 में सातवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

सातवीं अनुसूची

[नियम 18 (1) और (2) देखें]

"प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम शुद्ध मालियत अपेक्षाएं:"

भंडार क्षमता (टन में)	शुद्ध मालियत (करोड़ ₹ में)
500 तक	0.04
501-1,000	0.08
1,001-1,500	0.12
1,501-2,000	0.16
2001 मीटरी टन और इससे अधिक क्षमता	क्षमता (मीटरी टन में) *1000=50 करोड़ ₹ की अधिकतम सीमा के साथ अपेक्षित शुद्ध मालियत*

टिप्पण:- जहां आवेदक या भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी या स्वयं सहायता समूह है; वहां सारणी में विनिर्दिष्ट शुद्ध मालियत अपेक्षा लागू नहीं होगी, किंतु इसमें घाटा शुद्ध मालियत नहीं होगा।

*दृष्टांत: 10000 मीटरी टन क्षमता वाले भांडागार के पास 1,00,00,000 ₹ (10000 टन*1000 ₹ = 1,00,00,000₹) का न्यूनतम शुद्ध मालियत होना अपेक्षित है।

(ख) आठवीं अनुसूची के, पैराग्राफ (अ) में-

i. उप-पैरा (3), (4) और (5) में "आवेदक" शब्द के स्थान पर "जमाकर्ता" शब्द रखा जाएगा;

ii. उप-पैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(6) यदि जमाकर्ता एक हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) है,

(क) हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) और कर्ता का स्थाई खाता संख्या।

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) का घोषणा विलेख और सहदायिकों की सूची।

(ग) कर्ता के पते का प्रमाण।

[फा. सं. TFC-04-2016]

अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में सा. का नि. संख्या 165 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा. का. नि. संख्या 1040 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2017, सा. का. नि संख्या 251 (अ) तारीख 20 मार्च, 2018, सा. का. नि. 782 (अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2020 तथा सा. का. नि. 786 (अ) तारीख 03 नवंबर, 2021, सा. का. नि. 287 (अ) तारीख 05 अप्रैल, 2022 और सा. का. नि 788 (अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2022" द्वारा संशोधित किए गए थे"।

Papers to be laid on the Table of Rajya Sabha
Authenticated

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

साध्वी निरंजन ज्योति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules. 2017, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, for the Seventh Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"The Seventh Schedule

[See rule 18 (1) and (2)]

"Minimum net worth requirements for registration with the Authority:"

Storage capacity(inTons)	Net worth (Rupees in crores)
Upto 500	0.04
501–1,000	0.08
1,001–1,500	0.12
1,501–2,000	0.16
2001 MT and Above Capacity	Capacity in (MT) *Rs. 1000 = Required Net worth* with a maximum cap of Rs. 50 Crores

Note:- Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Society or a Self Help Group, the net worth requirement specified in the Table shall not apply, but it shall not have deficit networth.

* Illustration: A warehouse with a capacity of 10000 MT required to have minimum net worth of Rs. 1,00,00,000/- (10000 MT*Rs. 1000= Rs. 1,00,00,000)

(b) in the Eighth Schedule, in paragraph (A).-

(i) in sub-paragraphs (3), (4) and (5), for the word "applicant", the word "depositor" shall be substituted;

(ii) after sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(6) If the depositor is an Hindu Undivided Family (HUF),

(a) PAN of HUF and Karta.

(b) Deed of declaration of HUF and List of coparceners.

(c) Proof of address of Karta.

[F. No. TFC-04-2016]

ANITA KARN Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R- 165(E), dated the 23rd February, 2017 and subsequently amended vide G.S.R. 1040(E), dated the 22nd August, 2017, G.S.R. 251(E), dated the 20th March, 2018, G.S.R. 782(E), dated the 21st December, 2020, G.S.R. 786(E), dated the 3rd November, 2021, G.S.R. 287(E), dated the 5th April, 2022 and G.S.R. 788(E), dated the 14th October, 2022".

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA